न्यायालय : सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, जलेसर,एटा.
ओ0एस0नं0–132/2015

शक्तिवीर

————बनाम————

सोदान सिंह।

14.09.2016

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थना पत्र 142सी2 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रतिवादी की ओर कागज संख्या–142सी2 इस आशय का दाखिल किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा में निवेदन है कि वास्ते जिरह वादी 12.05.2015 नियत थी, परन्तु उस दिन प्रतिवादी बीमार हो जाने के कारण माननीय न्यायालय न आ सका, और अधिवक्ता प्रति भी अपर न्यायालय में व्यस्त रहने के कारण माननीय न्यायालय ने जिरह का अवसर समाप्त कर। जिससे सख्त हकतलवी प्रतिवादी न्यायहित में वादी के जिरह करना आवश्यक हौं न्यायहित में जिरह का अवसर प्रतिवादी को मिलना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 12.05.2015 निरस्त का वादी को जिरह के अवसर दिये जाने की कृपा करे।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या–145सी के माध्यम से आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि दिनांक– 16.09.2015 कतई गलत खिलाफ कानून प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। दिनांक 01.07.2014 को जिरह करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। उसके पश्चात् भी दिनांक–01.10.2014 को पुनः अंतिम अवसर दिया गया, किन्तु प्रतिवादी की तरफ से कोई भी वादी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2015 को प्रतिवादी का जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया। जिरह का अवसर समाप्त होने के पश्चात् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 26.11.2015, 15.01.2016, 18.02.2016, 16.03.2016 नियत की गयी, किन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई और माननीय न्यायालय द्वारा 16.03.2016 को प्रति साक्ष्य का अवसर भी समाप्त कर दिया गया और दिनांक 13.04.2016 वास्तें बहस नियत कर ही गयी और उसके बाद से पत्रावली लगातार बहस में नियत चली आ रही है। प्रार्थना पत्र रि–कॉल में जो तथा बीमारी के सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी को क्या बीमारी थी और वह कब से कब तक बीमार रहा और ना ही बीमारी के सम्बन्ध में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया हैं। अलावा इसके प्रतिवादी रि–कॉल पर समय के अन्दर प्रस्तुत क्यो नही कर सका। इसका भी कोई कारण प्रस्तुत नही किया हैं

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपने गैर–हाजिरी के सम्बन्ध में बिमारी का जो कारण दर्शाया गया है। उसके सम्बन्ध में कोई मेडिकल प्रपत्र दाखिल नही किया गया हैं, किन्तु न्याय की मंशा यही है। प्रत्येक वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर होना चाहिये, किन्तु यह सत्य है कि प्रतिवादी द्वारा गैर–लापरवाही का परिचय दिया गया है। इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र 142 सी2 500/–रूपये के हर्जे पर स्वीकार कर दिनांक 12.05.2015 रि–कॉल किया जाता है तथा प्रतिवादी को वादी से जिरह करने का समय प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्तें जिरह वाद वादी दिनांक–23.09.2016 को पेश हो।

(कुलदीप सिंह तृतीय)
सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0
जलेसर, एटा।